

16.10.2025

पत्रावली पेश हुई। प्राथी अधिकारता श्री देवीलाल कुमावत अनुमिधत।  
विप्राथीगण नोटिस तामील होने के बावजूद अनुमिधत। अतः विप्राथी संख्या  
01 से 18 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

हमने प्राथीगण अधिकारता की बहस को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व  
रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि  
के परिप्रेष्य में विवेचन किया गया कि प्राथीगण विवादित भूमि के रिकार्ड  
खातेदार हैं और रिकार्ड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी  
करवाने के लिए स्वतंत्र है। जिसके प्राथीगण हकदार भी है। प्राथीगण अधिकारता  
द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट हो कि  
विवादित भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही पूर्व में हो रखी हो। ऐसी सूचना में  
नेखमबन्दी करने से पूर्व विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाना आवश्यक है।  
अतः उक्त भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही करने के बाद नेखमबन्दी किये जाने में  
कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्राथीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथीगण की  
मौजा गुलवाणियों की ढापी, तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा  
नम्बर 471 रकबा 14.1883 हैक्टियर विवादित भूमि के संबंध में पूर्व सीमाज्ञान की  
नियमानुसार कार्यवाही करें। सीमाज्ञान शुल्क प्राथीगण द्वारा नियमानुसार वहन  
किया जायेगा। तत्पश्चात कार्यवाही विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखन  
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु मू-अभिलेख निरीक्षक नीम्बला को  
कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त कार्यवाही प्राथीगण एवं विप्राथीगण को  
पूर्व में जरीये नोटिस/पत्र से सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख नुकरर कर  
की जावें। कमिश्नर शुल्क 500/- प्राथीगण नौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता  
होने पर एस.एच.ओ. शिव से पुलिस इनवाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया  
जाता है। मू-अभिलेख निरीक्षक नीम्बला बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित  
करें। तहरीर जारी हो।

पत्रावली फौसल सुनार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपलब्ध अधिकारी  
उपलब्ध अधिकारी  
शिव

